दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Bihar

केन्द्रिय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अंतगर्त स्थापित
बीआईटी परिसर, पो0: बी0 वी0 कॉलेज, पटना– 800 014 (बिहार)

आवेदन प्रपत्र (शिक्षकेत्तर पद समूह– ''अ'', ''ब'' एवं ''ग'')

क्रम संख्या (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

विज्ञापन संख्या- सीयूएसबी/विज्ञा0/28/2015 दिनांक 09/11/2015

आवेदित पद : ....

आवेदन पत्र भरने से पहले अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लें|

क्रॉस **हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाएँ**
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

डिमांड ड्राफ्ट विवरण

डिमांड ड्राफ्ट संख्या	
दिनांक	
निर्गतकर्र्ता बैंक	
शाखा	
राशि	

अभ्यर्थी विवरण

1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. लिंग — पुरुष ☐ स्त्री ☐ — कृपया सही पर ✓ चिहन लगाएँ
4. जन्म तिथि
5. वैवाहिक स्थिति — 6. राष्ट्रीयता
7. कोटि (क) सामान्य ☐ एससी ☐ एस टी ☐ ओबीसी ☐ — कृपया सही पर ✓ चिहन लगाएँ

महत्वपूर्ण टिप्पणी : सामान्य कोटि को छोड़कर किसी अन्य कोटि के अभ्यर्थी साक्ष्य स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संग्लन करें| संलग्न साक्ष्य का क्रमांक-.......

(ख) शारीरिक रूप से अशक्त — हाँ ☐ नहीं ☐ — कृपया सही पर ✓ चिहन लगाएँ

(यदि हाँ तो असैनिक शल्य चिकित्सक से अन्यून पंक्ति के किसी चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) संलग्न साक्ष्य का क्रमांक-.......

अशक्तता की प्रकृति ....

अशक्तता का प्रतिशत ....

8. **स्थानीय पता**
या
वर्तमान पता

पिन

राज्य

9. **स्थायी पता**

पिन

राज्य

10. फोन / मो0 नं0 (यदि कोई हो)

11. ई–मेल आईडी (यदि कोई हो)

12. शैक्षणिक योग्यता (**मैट्रिक से**)

परीक्षा उत्तीर्ण	**बोर्ड / विश्वविद्यालय**	**उत्तीर्ण होने का वर्ष**	**श्रेणी / वर्ग**	**अंक %**	**विषय**	**संलग्न साक्ष्य का क्रमांक**
मैट्रिक (10 वीं)						
अन्तर स्नातक						
स्नातक						
प्रमाण–पत्र / डिप्लोमा						
अन्य (यदि कोई हो)						
अन्य (यदि कोई हो)						

13. ज्ञात भाषाएँ ....

14. कोई पारितोषिक आदि ....

15 कार्यानुभव (आरोही क्रम में)

संस्थान का नाम	पदनाम/ अवधि	वेतनमान	अंतिम मूल वेतन	सम्पादित कर्त्तव्यों का प्रकार	सेवा छोड़ने का कारण	संलग्न साक्ष्य का क्रमांक

16. कृपया दर्शाएँ कि आप दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय में क्यों योगदान करना चाहते हैं तथा क्या आप विज्ञापन की शर्त्तों को पूरा करते हैं? (अभ्यर्थी द्वारा अपनी हस्तलिपि में भरा जाय।)

....

....

....

....

....

....

17. कम्प्यूटर के प्रयोग में आपकी योग्यता, यदि कोई हो : **संलग्न साक्ष्य का क्रमांक-.....**

....

....

....

18. कार्यालयी यंत्रों के व्यवहार में आपकी योग्यता एवं कुशलता, यदि कोई हो :—
(i) फोटोकॉपियर (ii) फैक्स मशीन (iii) लेमिनेशन एवं जिल्दसाजी (iv) स्कैनर (v) विडियो कैमरा (vi) प्रोजेक्टर (vii) अन्यान्य। **संलग्न साक्ष्य का क्रमांक-.....**

....

....

....

....

19. पता तथा दूरभाष संख्या सहित दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम जो आपको अच्छी तरह से जानते हों किन्तु आपके सीधे संबंधी नहीं हो :

01	नाम :	02	नाम :
	पता :		पता :
	फोन नं0 :		फोन नं0 :
	ई—मेल आईडी (यदि कोई हो)		ई—मेल आईडी (यदि कोई हो)

20. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो : ....

....

....

....

....

21. **घोषणा** : मैं, ... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ....
एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी सम्पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूरी है तथा कोई महत्त्वपूर्ण सूचना छिपायी अथवा दबायी नहीं गयी है और यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई है तो मेरी उम्मीदवारी न्यस्त की जा सकती है अथवा चयन के बाद मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

स्थान .... आवेदक का हस्ताक्षर ....

दिनांक .... आवेदक का नाम ....

(केवल कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए)

नियोक्ता द्वारा प्रेषण : कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई न तो लंबित है और न ही ध्यानपूर्वक विचारित हुआ है। उसे न तो कभी सेवा से बरखास्त किया गया है और न ही भविष्य में कोई नियुक्ति पाने से प्रतिबंधित किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है और न ही उसे किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है।

स्थान ....

संस्था के प्रधान का हस्ताक्षर
एवं कार्यालय की मुहर

दिनांक ....

संलग्नकों की सूची :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश

1. प्रपत्र भरने हेतु साफ अक्षरों का प्रयोग करें |
2. अपने फोटो को सही स्थान पर गोंद से चिपकाएँ, पिन अथवा नत्थी नहीं करें |
3. चिन्हित स्थान में अपना हस्ताक्षर करे, ओभरराइटिंग नहीं करें |
4. कुल सचिव, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से पटना में भुगतेय `५००.०० (एस.सी., एसी.टी., पीडी तथा महिला के मामले में `३००.००) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें |
5. जहाँ कहीं आवश्यक हो, सही ✓ निशान लगाएं |
6. केवल वेबसाइट www.cub.ac.in से प्राप्त आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन किये जायेंगे | अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आवेदन प्रपत्र उपलब्ध हैं | अभ्यर्थी किसी भी एक भाषा का प्रपत्र भरकर भेज सकते हैं |
7. किसी भी रूप में अधूरे आवेदनों पर बिल्कुल विचार नही किया जायेगा |
8. किसी भी परिस्थिति में आवेदन एवं निबंधन (परीक्षा) शुल्क वापस नहीं किया जायेगा |
9. चयन प्रक्रिया में हुई कोई असावधानीपूर्ण भूल किसी भी स्तर पर पाये जाने पर विश्वविद्यालय अभ्यर्थी के साथ किये गए किसी भी पत्राचार को संशोधित / वापस / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है |
10. परीक्षा में समिल्लित होने के लिए यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता नहीं भुगतान किया जायेगा | तथापि अंतर्वीक्षा के लिए योग्य पाये गये एस.सी. / एसी.टी. / अशक्त अभ्यर्थियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर द्वितीय श्रेणी रेल/बस का आने-जाने का भाड़ा प्रतिपूरित कर दिया जायेगा|
11. सेवारत अभ्यर्थी "उचित माध्यम से" "नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र" के साथ आवेदन करें|
12. अधिसूचना में दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है | विश्वविद्यालय के पास पदों की संख्या बढाने-घटाने का अधिकार सुरक्षित है |
13. अभ्यर्थी की ओर से किसी भी रूप की गई पैरवी अयोग्यता मानी जाएगी |
14. प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन करें तथा लिफाफे के ऊपर पद का नाम, विज्ञापन संख्या तथा दिनांक लिखें |
15. आयु, अनुभव तथा योग्यता की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जायेगी |
16. किसी भी स्तर पर डाक में विलंब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा |
17. विश्वविद्यालय के विरूद्ध किसी भी विवाद / वाद या वैधानिक कार्यवाही की स्थिति में क्षेत्राधिकार पटना के न्यायालयों तक सीमित होगा |

18. सभी पदों पर एस.सी., एस.टी, ओबीसी तथा शारीरिक रूप से अशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार के दिशा- निर्देश के अनुरूप है | आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी चिन्हित स्थान पर अपनी कोटि का उल्लेख करेंगे | वे सबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र / चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अभिहस्ताक्षरित फोटो प्रतिलिपि भी अवश्य संग्लन करेंगे | अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला जाति प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में होना चाहिए | अन्यथा, आगे विचार किए बिना आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा |

19. केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यता एवं अनुभव होने पर अभ्यर्थी जाँच परीक्षा / अंतर्वीक्षा में बुलाये जाने के लिए अधिकृत नहीं होगा | अंतर्वीक्षा हेतु कठिन मापदंड लागू किये जा सकते हैं| उच्चतर योग्यता एंव मेधा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी |

20. एस.सी. / एस.टी / ओबीसी कोटि के अभ्यर्थियों के अनुभव, आयु आदि में रियायत के मामलों में भारत सरकर के परिनियमित प्रावधान लागू होंगे |

21. अशक्त व्यक्तियों की ऊपरी आयु-सीमा में भारत सरकर के नियमों के अनुरूप छूट दी जाएगी|

22. चयनित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नामिका (पैनल) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा विश्वविद्यालय उक्त नामिका से अनुवर्ती तथा नई रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकेगा |

23. विज्ञापित पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में विश्वविद्यालय उच्चतर पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से निम्नतर पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव कर सकेगा|

24. अभ्यर्थियों के पूर्व के अभिलेख तथा जाँच परीक्षा/ अंतर्वीक्षा में उनकी प्रस्तुति के आधार पर चयन किया जायेगा | चयन की पद्धति के रूप में विश्वविद्यालय ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रणाली अपना सकता हैं | चयन पद्धति में शामिल हो सकती है - (i) सामान्य सक्षमता जाँच / (ii) विशिष्ट दक्षता एवं कुशलता जाँच / (iii) प्रवृत्ति एवं व्यक्तित्त्व जाँच |

25. जाँच / अंतर्वीक्षा / चयन के संबंध में अंतरिम पृच्छाएं स्वीकार नहीं होंगी |

26. विश्वविद्यालय के पास विज्ञापित पदों में से किसी भी पद को नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित है| अंतर्वीक्षा के समय तक ज्ञात अनुवर्ती रिक्ति भी उपलब्ध अभ्यर्थियों में से भरी जा सकती है | इस प्रकार पदों की संख्या परिवर्तनीय है | अति मेधावी अभ्यर्थियों के मामलों में विश्वविद्यालय अपने विवेक से योग्यता, अनुभव एवं आयु-सीमा में किसी भी स्तर पर छूट प्रदान कर सकता है|

27. विश्वविद्यालय के पास अधिकार सुरक्षित हैः–

(i) कि अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार करे,

(ii) कि ''अनुपस्थिति में'' उन लोगों की उम्मीदवारी पर विचार करे जो आवेदन नहीं कर सके हों अथवा आवेदन करने के पश्चात् साक्षात्कार में सम्मिलित होने में असमर्थ हों,

(iii) कि नियुक्ति सीधी भर्त्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर करे,

(iv) कि अर्हता और/अथवा अनुभव की न्यूनतम आवश्यकताओं को शिथिल करे,

28. **सेवा काल में अथवा नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वृत्त अथवा अभिलेख का सत्यापन करा सकेगा | यदि यह पाया जाता है की अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख जाली था अथवा अभ्यर्थी का पूर्व वृत्त दागदार रहा है और उस सूचना को दबाया गया है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा विश्वविद्यालय उस पर कोई दूसरी क़ानूनी करवाई कर सकेगा |**

29. विश्वविद्यालय के पास अनुभवी, दक्ष और बहुकार्य–कुशल व्यक्तियों के मामलों में आयु सीमा में छुट प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित है।

30. **चयन-प्रक्रिया में किसी भी विवाद / संदिग्धार्थता उत्पन्न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा |**

31. **नियुक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ तथा विश्वविद्यालय में लागू परिनियम, अध्यादेश तथा अन्य नियमावलियों के प्रावधानों एवं भारत सरकर की सहमति के अध्यधीन होगी |**

32. आवेदन प्रपत्र एवं संबंधित सूचना विश्वविद्यालय के वेवसाईट <www.cub.ac.in> पर उपब्ध है।

33. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **30.11.2015** है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त अथवा अधूरा भरा आवेदन प्रपत्र अथवा निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा।

34. शौर्टलिस्टिंग हेतु यदि लिखित जाँच कराई जाय तो उसे मेधा–सूची नहीं माना जाय; अन्तर्वीक्षा में प्रस्तुति के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा पर चयन किया जायगा।

35. **आवेदन तथा निबंधन शुल्क के रूप में "कुलसचिव, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय" के नाम से पटना में भुगतये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का `५००.०० (एस.सी., एसी.टी., पीडी तथा महिला के मामले में `३००.००) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट तथा अभिलेख, प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियाँ सहित भरे गए आवेदन-पत्र केवल निबंधित / स्पीड डाक से "कुलसचिव, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी परिसर, पो0ः बी. वी. कॉलेज, पटना–800014, बिहार" के पते पर 30.11. 2015 तक भेजे जा सकते हैं |**

टिप्पणी : पदस्थापन बिहार में किसी भी जगह किया जा सकता है जहाँ विश्वविद्यालय अथवा इसका कोई कार्यालय अवस्थित हो |

कुलसचिव